पत्र संख्या–3/सी0–233/2007का.....7146 .../
बिहार सरकार
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

सरयुग प्रसाद,
सरकार के उप सचिव ।

सेवा में,

सभी विभाग
सभी विभागाध्यक्ष
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी ।

पटना–15, दिनांक 31 अक्टूबर, 2008

विषय :– सेवाकाल में मृत सरकारी —— सेवकों के आश्रितों की समूह 'ग' एवं 'घ' के पदों पर अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की प्रक्रिया – अविवाहित सरकारी सेवकों तथा लापता सरकारी सेवकों के आश्रितों को भी अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की अनुमान्यता की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के प्रसंग में कहना है कि इस विभाग के ज्ञापांक–13293 दिनांक 05.10.91 की कंडिका–(1) (ग) एवं (घ) के तहत अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु आश्रितों को परिभाषित किया गया है और तद्नुसार मृत सरकारी सेवक के भाई, बहन या माँ को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु विचार के लाभ की अनुमान्यता नहीं है । इस संबंध में माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या–13668/2001 (दुर्गी देवी एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य) में दिनांक 17.09.2007 को आदेश पारित किया गया है जिसका उद्धरण निम्नानुसार है :–

"Having considered the matter, I am of the view that compassionate appointment is not an appointment as a matter of right. The same is governed by rule and regulations. Petitioners do not dispute that the rules, regulations and the statutory circulars as they stand today, do not provide for compassionate appointment of the younger brother of a deceased but the submits that a contingency like this where a deceased person dies as a bachelor has never been contemplated. It is rightly submitted on behalf of the petitioners that such a contingency was not contemplated by the State. It is time they considered the said eventuality and provided for him otherwise the very purpose of compassionate appointment would stand defeated. There may be causes where a young employee not yet married but supporting his parents and younger and other members of the family suddenly dies if other dependants are not reckoned for compassionate appointment then the classification would lnot lbe full and complete and was liable to be challenged but as things stand today, no statute or statutory directions gives a right to the younger brother of the deceased to be appointed on compassionate ground. There being no right, this court cannot issue a mandamus.

However, this court would like to request the State government to consider such cases and provide for them generally or, in such special cases, make provisions for departure from the normal rule so that such an unfortunate situation does not arise. If the State Government considering the situation thinks otherwise, it may still offer employment to the younger brother of the deceased employee." उक्त आदेश में दिये गये सुझावों पर विचार करने के बाद तद्नुसार कार्रवाई करने की आवश्यकता समझी गई है।

2. इसी प्रकार इस विभाग के ज्ञापांक 281 दिनांक 01.02.2006 तथा पत्रांक 4265 दिनांक 04.12.07 के तहत यह अनुदेश संसूचित किया गया था कि वर्तमान प्रावधानों के तहत लापता सरकारी सेवक के मामले में अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति का लाभ अनुमान्य नहीं है तथा लापता व्यक्ति को 7 वर्षों के बाद मृत समझे जाने के आलोक में उसके बाद अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति का औचित्य नहीं रह जाता है । समीक्षा के क्रम में पाया गया है कि भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन

मंत्रालय (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) के कार्यालय ज्ञापन संख्या–14014/6/94–इस्ट(डी.) दिनांक 09.10.98 के तहत भारत सरकार में लागू अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति संबंधी अनुदेश की कंडिका–11 के तहत लापता सरकारी सेवक के आश्रित की अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की अनुमान्यता, कुछ शर्त्तों के अधीन दी गई है । भारत सरकार में लागू उक्त व्यवस्था पर विचारोपरांत उसे इस राज्य में लागू करना अपेक्षित समझा गया है ।

3. अतः माननीय पटना उच्च न्यायालय के उक्त आदेश में दिये गये सुझावों तथा भारत सरकार के उक्त कार्यालय ज्ञापन में निहित प्रावधान के आलोक में, राज्य सरकार द्वारा सम्यक्रुपेण विचारोपरांत निम्नांकित निर्णय लिये गये हैं :–

(1) यदि कोई सरकारी सेवक अविवाहित हो और उसके माता–पिता एवं भाई–बहन उसी पर आश्रित हों तथा सेवाकाल में ऐसे सरकारी सेवक की मृत्यु हो जाय तो वैसी परिस्थिति में उसकी विधवा माँ, छोटा भाई एवं अविवाहित छोटी बहन को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु आश्रित माना जाएगा ।

(2) लापता सरकारी सेवकों के मामले में भी, निम्नांकित शर्त्तों के अधीन, अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु विचार के लाभ की अनुमान्यता होगी :–

(क) सरकारी सेवक के लापता होने की तिथि से दो वर्षों के बीत जाने के बाद अनुकम्पा नियुक्ति हेतु अनुरोध पर विचार हो सकता है, बशर्त्ते कि :–

(i) पुलिस थाना में इस संबंध में एक प्राथमिकी दर्ज किया गया हो;

(ii) लापता व्यक्ति का पता चल पाना कठिन हो, और

(iii) सक्षम प्राधिकार यह महसूस करे कि मामला सत्य है ।

(ख) यह लाभ ऐसे सरकारी सेवकों के मामले में अनुमान्य नहीं होगा :–

(i) जिसे लापता होने की तिथि से दो वर्षों के अंदर सेवानिवृत्त होना है, या

(ii) जिस पर धोखाधड़ी करने का संदेह हो, या किसी आतंकवादी संगठन में शामिल होने का संदेह हो, या विदेश चले जाने का संदेह हो ।

(ग) अन्य के मामलों की तरह लापता सरकारी सेवक के मामले में भी अनुकम्पा नियुक्ति अधिकार का मामला नहीं होगी और यह, रिक्तियों की उपलब्धता सहित, ऐसी नियुक्ति के लिए निर्धारित सभी शर्त्तों के पूरा होने पर ही हो सकेगी ।

(घ) ऐसे अनुरोध पर विचार करते समय पुलिस अनुसंधान के परिणामों को भी ध्यान में रखा जायेगा ।

(3) लापता सरकारी सेवक के आश्रित को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त कर लिये जाने के बाद लापता सरकारी सेवक के पुनः प्रकट हो जाने पर अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त उनके आश्रित की सेवा स्वतः समाप्त समझी जायेगी। परन्तु ऐसे आश्रित से, उनके द्वारा कर्त्तव्य की अवधि के लिए, भुगतान की गई राशि की वसूली नहीं की जायेगी।

लापता सरकारी सेवक के प्रकट होने एवं योगदान देने पर सक्षम प्राधिकार द्वारा उनका योगदान स्वीकार करते हुए उन्हें निलंबित कर उनके विरुद्ध बिहार सेवा संहिता के नियम–76 के आलोक में अनधिकृत अनुपस्थिति के लिए नियमानुसार विभागीय कार्यवाही चलाकर समुचित कार्रवाई की जायेगी।

4. इस विभाग के ज्ञापांक–13293 दिनांक 05.10.91 की कंडिका–(1) (ग) एवं (घ) उपर्युक्त हद तक संशोधित समझी जायेगी, और ज्ञापांक–281 दिनांक 01.02.2006 एवं पत्रांक–4265 दिनांक–04.12.07 तद्नुसार अवक्रमित समझे जायेंगे ।

विश्वासभाजन,

31/12/08

(सरयुग प्रसाद)
सरकार के उप सचिव ।